सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 16, शुक्रवार, *शाके* 1947- जून 06, 2025 *Jyaistha 16, Friday, Saka 1947- June 06, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, मई 19, 2025

संख्या प. 2(9)वन/2025 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पतियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वन-भूमि या बंजर-भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियो के अधिकारो की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियो के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारो को क्षति पहूंचनें की आशंका रहेगी ।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.13) की धारा 29 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में सरकार वन बन्दोवस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि या बंजर-भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियो के अधिकारों की जांच करके उन्हे लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच,साक्ष्य एवं अभिलेखन उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11(1),12,13,14,17,18 एवं 19 में प्रावहित है।

और इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहतें, कथित वन-भूमि एवं बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्तियो या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नही होगी और न ही उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित

किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाईया कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वन)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावर सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
1	बीजाथल-II	रियांबड़ी	नागौर	उत्तर	1265/650 ग्राम बीजाथल	बीजाथल ग्राम बीजाथल	1264/650	हैक्टर में	भूमि किस्म
				दक्षिण	687 वन भूमि बिजाथल			2.6617	गैर मुमकिन मगरा
				पश्चिम	1265/650 ग्राम बीजाथल				
				पूर्व	686 ग्राम बीजाथल				
							Total	2.6617	

ममता जांगिड,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेड़तासिटी।

विजय शंकर पाण्डेय,
उप वन संरक्षक,
नागौर।

द्वितीय अनुसूची

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियो के वनस्पतिक नामो की सूची

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटनिकल)
1	देशी बबूल	Acacia nilotica
2	खेजडी	Prosopis cineraria
3	खीप	Leptadenia Reticulata
4	विलायती बबूल	Prosopis Juliflora

ममता जांगिड,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेड़तासिटी।

विजय शंकर पाण्डेय,
उप वन संरक्षक,
नागौर।

प्रमाण-पत्र

वन खण्ड - बीजाथल-II

रेन्ज - मेड़तासिटी

वन मण्डल - नागौर

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में गैर मुमकिन मगरा, वन विभाग के नाम दर्ज है। यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के कब्जे में है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नही किये हुए है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र पर भविष्य में वृक्षारोपण किये जाने की सम्भावना है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.10 से 0.20 तक का है एवं इन क्षेत्रो में मुख्य देशी बबूल, खेजडी, खीप, जुलीफ्लोरा एवं अन्य मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडियां है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वनविभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओ से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा।
6. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8. इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

ममता जांगिड,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेड़तासिटी।

विजय शंकर पाण्डेय,
उप वन संरक्षक,
नागौर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।